अनुदान संख्या 18 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 18–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*2,00*	*95,00*	*67,60*	*–27,40*
पूरक	*Supplementary*	*93,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*27,10*
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	24655,88,00	24657,01,00	24451,87,59	–205,13,41
पूरक	Supplementary	1,13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,81,06
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	339,60,00	339,61,00	205,37,13	–134,23,87
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				134,16,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(27.40 लाख रु.)* अगस्त, 2006 और दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए *93.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का और कुल स्वीक त *विनियोग* दोनों 29 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.27.40 lakhs)* constituted 29 percent of both the supplementary *appropriation* of *Rs.93.00 lakhs* obtained in August, 2006 and December, 2006 and total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	*O.*	*37.00*	*11.90*	*11.86*	*–0.04*
पु.	*R.*	*–25.10*			

(I) *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुद ढ़ीकरण से संबंधित स्कीम" के अंतर्गत *37.00 लाख रु.* की निधियां पूरक *विनियोग* प्राप्त करके उपलब्ध कराईं गईं थीं तथापि, जो समिति का विलंब से गठन होने के कारण *25.14 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under "Other Expenditure - Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" - funds of *Rs.37.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.25.14 lakhs* - due to late constitution of the committee.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीक त अंश में, कुल बचतें (20513.41 लाख रु.) अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 113.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीक त प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.20513.41 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.113.00 lakhs obtained in August, 2006 and March, 2007 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision.

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Saving/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2098.00	1729.12	1655.43	–73.69
पु.	R.	–368.88			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2457827.00	2455244.10	2438299.77	–16944.33
पू.	S.	113.00			
पु.	R.	–2695.90			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	508.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–508.00			

(I) 512.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 408.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुद ढ़ीकरण से संबंधित स्कीम'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.512.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.408.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Scheme relating to Strengthening PDS" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग''के अंतर्गत 431.93 लाख रु. की बचत (2075.31 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त आवेदन पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - saving of Rs.431.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2075.31 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of sufficient applications for training programme.

(III) मुख्य शीर्ष ''2408'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(III) Under Major Head "2408" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''खाद्य''-

(A) "Food"

(क) ''निदेशन और प्रशासन - अन्य कार्यालय'' - 796.20 लाख रु. की बचत (825.50 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लंबित बिलों का समाशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – Other Offices" - saving of Rs.796.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.825.50 lakhs) was due to non-clearance of pending bills of National Consumer Disputes Commission.

(ख) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शर्करा संस्थान''- 267.37 लाख रु. की बचत (1053.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने , स्टाफ की कमी की वजह से प्रशिक्षण शिविरों की कम संख्या होने, विद्वानों को नियुक्त न किए जाने और कम निविदा का प्रकाशन होने के कारण हुई।

(b) "Training – National Sugar Institute" - saving of Rs.267.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1053.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, less number of training camps owing to shortage of staff, non-engagement of scholars and less tender publication.

(ग) ''खाद्य सहायता''-

(i) ''1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना मूल्य पुनर्निर्धारित किए जाने के कारण दावों के निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता''- 741.05 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) संबंधित चीनी मिलों द्वारा सुसंगत दावों को उनके समर्थित कागज-पत्राों और उपयुक्त उत्तरों सहित प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''लेवी चीनी, चीनी के आयात इत्यादि के कारण भारतीय खाद्य निगम व अन्यों को देय चीनी संबंधी आर्थिक सहायता''- 2000.40 लाख रु. की बचत (20248.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता में कमी किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''खाद्यान्नों की विकेंद्रीक त अधिप्राप्ति पर राज्यों सरकारों को आर्थिक सहायता'' - 15862.00 लाख रु. की बचत (320000.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे/बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''अन्य व्यय - निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों का आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमत दावों की अदायगी''- 2903.87 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों द्वारा कागजात/उत्तर प्रस्तुत न किए जाने और समुद्र भाड़ा, विपणन एवं लदाई-उतराई प्रभार संबंधी करार को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''भंडारण और भांडागार - प्रशिक्षण - अनाज बचाओ अभियान''- 249.24 लाख रु. की बचत (812.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, योजनेतर व्यय पर अनिवार्य कटौती किए जाने और अनाज बचाओ अभियान के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 185.36 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीक त प्रावधान का 26 प्रतिशत तथा 39 प्रतिशत थीं।

(c) "Food Subsidies" -

(i) "Subsidies payable for settlement of claims on account of Re-fixation of Ex-factory Price Levy Sugar for 1974–75" - saving of Rs.741.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-furnishing of relevant claims with supporting papers and suitable replies by the concerned sugar mills.

(ii) "Sugar subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar import of Sugar etc." - saving of Rs.2000.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20248.00 lakhs) was due to reduction of subsidy by the Ministry of Finance.

(iii) "Subsidy to State Govt. on decentralised procurement of food grains" - saving of Rs.15862.00 lakhs (against the sanctioned provision of 320000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/bills from the State Governments.

(d) "Other Expenditure" - Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims" - saving of Rs.2903.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-furnishing of papers/replies by the sugar mills and delay in finalisation of agreement on ocean freight, marketing and handling charges.

(B) "Storage and Warehousing-Training-Save Grain Campaign" - saving of Rs.249.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.812.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, mandatory cut on non-plan expenditure and closure of some SGC field offices.

(IV) Under two heads savings of Rs.185.36 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 26 percent and 39 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3089.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता''- 2999.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2991.13 लाख रु. था।

(खा) ''चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान''- 90.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण के गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 343.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) मिजोरम में भंडारण गोदाम के निर्माण के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.3089.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2408" - "Food - Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar" - Rs.2999.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2991.13 lakhs.

(B) "Grants-in-aid for Development of Sugar Industry" - Rs.90.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure – Construction of Food Storage godowns in N E Region by State Govt." - excess of Rs.343.00 lakhs (against nil provision) was due to requirement of funds for construction of storage godowns in Mizoram.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4408'' खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	3350.00	838.15	831.19	–6.96
पु.	R.	–2511.85			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	450.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–450.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	30160.00			
पू.	S.	1.00	19705.94	19705.94	. .
पु.	R.	–10455.06			

(I) 450.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.450.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investment in Public Sector and other undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत 2925.00 लाख रु. की बचत (3225.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए "विकेंद्रीक त अधिप्राप्ति राज्यों" में कुछ राज्य सरकारों के भाग न लेने की वजह से "आईआईएसएफएम" स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing-Investments in Public Sector and other undertakings - Food Corporation of India" - saving of Rs.2925.00 (against the sanctioned provision of Rs.3225.00 lakhs) was due to slow progress of the scheme "IISFM" owing to non-participation of some State Governments in "Decentralised Procurement States" to implement the project.

(III) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "6860" - "Sugar –Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(का) "चीनी मिलों की पुन: स्थापना/का आधुनिकीकरण"- 1354.25 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills" - saving of Rs.1354.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs);

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें"- 1019.27 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Sugar Mills for Cane Development" - saving of Rs.1019.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs);

(गा) "खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने"- 799.24 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

(C) "Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project" - saving of Rs.799.24 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.10001.00 lakhs including token supplementary

10001.00 लाख रु. के कुल स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल अथवा इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने''- 7272.30 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम/अधूरे आवेदन प्राप्त होने, करार का निष्पादन न होने और बैंक गारंटियां/प्रतिभूतियां समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुईं।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 450.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007); and

(D) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - saving of Rs.7272.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less/incomplete applications, non-execution of agreement and non-submission of bank guarantees/securities in time.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing – Other Expenditure - Construction of food storage godown in North Eastern Region by FCI" - excess of Rs.450.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.